संख्या: 14/16/451

तिथि: 09/08/2023

पावती समय: 11:56 AM

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

अतारांकित प्रश्न

विषय   अधिग्रहण की गई जमीन की जानकारी देने बारे।

सूचना प्राप्ति दिनांक   09/08/2023

मंत्री:   श्री. दुष्यंत चौटाला

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में ....

प्राथमिकता, यदि कोई हो

प्रेषक:

श्री नीरज शर्मा(86) , सदस्य

सेवा में

सचिव,
हरियाणा विधान सभा,
Delhi-1.

महोदय,

अतारांकित प्रश्न

भवदीय,

श्री नीरज शर्मा(86)
सदस्य
09/08/2023 11:56 AM

निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम: 86 फरीदाबाद एनआईटी

उद्योग और वाणिज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

1. हरियाणा बनने से पहले या हरियाणा बनने के बाद हरियाणा सरकार या उस समय की जो सरकार थी, तब क्या इंडस्ट्री विभाग ने किसानो की जमीन अधिग्रहण करके उधोग लगाने के लिए दी थी। अगर हंा तो कुल कितनी जमीन थी तथा किस-2 शर्ते पर किस-2 इंडस्ट्री को दी थी। इसका पूर्ण जिलवार ब्यौरा दिया जांए।

2. जिस कम्ंपनी को सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके इंडस्ट्री लगाने के लिए अलांट की थी, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा जिन शर्तो पर जमीन दी थी क्या उन शर्तो को इंडस्ट्री वाले पूरा कर रहे है अगर हां तो उनका जिलेवार ब्यौरा दिया जाए और जो शर्तो को पूरा नही कर रहे, उनके खिलाफ विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है। उनका जिलेवार ब्यौरा दिया जांए।

3. क्या ऐसी जमीन का सब डिवीजन हो सकता है अगर है तो उसकी क्या पालिसी है उसकी प्रति दी जाए तथा क्या ऐसी जमीन का हस्तांतारित/सब लीज/ पटटे पर दी जा सकती है अगर हां तो पालिसी की प्रति दी जाए। जिलेवार ब्यौरा दिया जाएं।

4. उपरोक्त जमीन सरकार ने जिस उद्धेश्य के लिए इंडस्ट्री को दी थी उसका ब्यौरा दिया जाए तथा क्या इंडस्ट्री वाले उपरोक्त जमीन का सब डिवीजन कर सकते थे और अगर जिस उद्धेश्य के लिए इंडस्ट्री को जमीन दी अगर वह उस शर्ते को पूरा ना करे तो क्या विभाग वह जमीन इंडस्ट्री से वापिस लेकर किसान को वापिस देने की क्या योजना है। जिलेवार ब्यौरा दिया जांए।

5. जब सरकार इंडस्ट्री को जमीन अलांट करती थी तो क्या उद्धेश्य स्पष्ट था और जिस इंडस्ट्री ने जिस उद्धेश्य के लिए जमीन ली थी अगर उसने वह कार्य नही किया तो उसपर विभाग ने क्या कार्यवाही की। इसका जिलेवार ब्यौरा दिया जांए।